सिख समुदाय के द्वितीय गुरु अंगद देव जी को ज्योति ज्योत दिवस पर सादर नमन।

—— नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

लखनऊ में जल्द बनेगा एक हजार बेड वाला कोविड केयर अस्पताल।

—— योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

संक्षिप्त खबरें

सबोली क्षेत्र में मलेरिया सर्कल का उद्घाटन

पूर्वी दिल्ली । पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुक्रवार को वार्ड संख्या-54 सबोली क्षेत्र में मलेरिया सर्कल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के उप महापौर हरि प्रकाश बहादुर, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र की उप स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधुरी पंत कीटविज्ञानी शालिनी कोहली तथा अन्य निगम कर्मचारी उपस्थित थे।
इस मौके पर उप महापौर ने कहा कि क्षेत्र में मलेरिया सर्कल खुलने से यहां के स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब यहां नियमित रूप से मच्छरों की रोकथाम संबंधी कार्य करवाये जा सकेंगे। उप महापौर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए पूर्वी दिल्ली के सभी इलाकों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही मलेरियारोधी दवाइयों का छिड़काव करवाया जा रहा है।

एनएसडीसी व अपना ऐप के बीच साझेदारी

नई दिल्ली । मजदूरों और मझौले दर्जे के कर्मचारियों के लिए पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना ऐप ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत मजदूरों/मझौले दर्जे के कर्मचारियों को पहला प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। पहली बार ये उम्मीदवार अपने कार्यक्षेत्र और कौशल के आधार पर विभिन्न समुदायों का हिस्सा बन सकेंगे। साझेदारी का उद्देश्य फ्रंटलाइन वर्कफोर्स के लिए उनके द्वारा पसंद की गई भाषा में कौशल विकास, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहयोग के अवसरों के लिए पहुंच प्रदान करना है। यह एसोसिएशन एनएसडीसी के माध्यम से नामांकित/प्रमाणित उम्मीदवारों को समुदाय के साथ डिजिटल व्यावसायिक पहचान, नेटवर्क बनाने और अवसरों को खुद को तैयार करने में सक्षम करेगा।

दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अपने गृह नगर जाने के लिए आनंद विहार स्टेशन की ओर जाता श्रमिक अपने परिवार के साथ। *फोटो : एसएनबी*

92 पार्क और चार फ्लाईओवरों का रखरखाव करेंगे निजी संस्थान

पूर्वी दिल्ली (एसएनबी)। पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 92 पार्कों और 4 फ्लाई ओवरों की लिस्ट बनाई है जिनको विज्ञापन लगाने के लिए प्राइवेट पार्टी, स्वयं सेवी संस्थान, आरडब्ल्यूए को दिया जाएगा। महापौर ने बताया कि खास बात यह रहेगी कि विज्ञापन लगाने के लिए उन्हें पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कोई पैसा नहीं देना होगा बल्कि उस संबंधित पार्क के मेंटेनेन्स का दायित्व उस संबंधित पार्टी का होगा। उन्होंने बताया कि सभी 92 पार्क प्राइम लोकेशन पर हैं।

महापौर निर्मल जैन ने बताया कि इस संबंध में नीति बनाई गई है जिसके तहत एक एकड़ और उससे ज्यादा क्षेत्रफल वाले पार्कों में 50-50 वर्ग फुट के 4 विज्ञापन लगाए जा सकते है। अथवा एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले पार्कों में 50-50 वर्ग फुट के 2 विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। वहीं आधे एकड़ वाले पार्कों में 50 वर्ग फुट का एक विज्ञापन और फ्लाई ओवर पर 75 वर्ग फुट के 2 विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रति ट्री गार्ड पर 1 वर्ग फुट का एक विज्ञापन लगाया जा सकता है। महापौर निर्मल जैन ने कहा कि इस व्यवस्था के द्वारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधीन पार्कों का रख-रखाव सुनिश्चित हो पाएगा।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कोई पैसा नहीं देना होगा,बदले में वे लगा पाएंगे अपने विज्ञापन

निगम विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुज़र रहा

निर्मल जैन ने बताया कि सर्वविदित है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुज़र रहा है और ऐसे में मालियों की कमी के कारण पार्कों का उचित रख रखाव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के बाद निगम के पार्कों का बेहतर रख रखाव होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा।

जजों व कर्मचारियों के संक्रमित होने से दी जा रही अगली डेट

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

राजधानी के सातों जिला अदालतों में जज सहित कर्मचारियों के कोरोना पाजिटिव आने का सिलसिला जारी है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी एक दर्जन के करीब कोरोना के मामले सामने आए। इसके चलते अदालतों का ड्यूटी रोस्टर लगातार बदल रहा है।

प्रशासनिक विभाग का प्रयास है कि मुकदमों की सुनवाई बेशक अगली तारीख के लिए स्थगित हो जाए, लेकिन जमानत याचिकाओं व आरोपियों की न्यायिक हिरासत व रिमांड पर नियमित सुनवाई चलती रहे। वर्तमान हालात को देखते हुए इस समय सुनवाई होने वाले मुकदमों को दो से तीन महीने आगे की तारीख दी जा रही है। इसका वजह यह है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें 14 दिन के लिए होम आईसोलेशन में जाने की सलाह दी जा रही है। इस बीच 14 दिन के मुकदमों को इस तरह अगली तारीख के लिए स्थगित किया जा रही है, जिससे इसके बाद सुनवाई के लिए आने वाले मामलों की सुनवाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। बहुत आवश्यक मामलों को 14 दिन बाद की तारीख भी दी जा रही है।

दो दिन में अदालतों में 12 से अधिक हुए कोरोना संक्रमित

दिल्ली की सातों जिला अदालतों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले कड़कड़डूमा अदालत से आ रहे हैं। इसके बाद पटियाला हाउस अदालत में भी बहुत संख्या में कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। अन्य जिला अदालतों का भी तकरीबन यही हाल है।

कोरोना के खिलाफ एनडीएमसी का अभियान

नई दिल्ली (एसएनबी)। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनडीएमसी ने बचाव में तैयारियां तेज कर दी है। परिषद के चरक पालिका अस्पताल में चल रहे फ्लू कार्नर में बुखार से पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना की गाइड लाइन का पालन कराने के लिए एनडीएमसी की दस कोरोना सर्विलांस टीमें सक्रिय हो गई है। एनडीएमसी ने टीकाकरण सेंटर बढ़ाने का निर्णय लिया है।

टीकाकरण, टेस्टिंग व सेनिटाइजेशन पर जोर

बिरला मंदिर में क्वारंटाइन सेंटर खोलने की तैयारी

एनडीएमसी के चरक पालिका स्थित फ्लू कार्नर में आने वालों की संख्या 250 से 300 तक पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि यह फ्लू कार्नर बुखार की पहचान के लिए शुरू किया गया है।

एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि एनडीएमसी ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। फिलहाल छह सेंटरों पर टीकाकरण चल रहा है। इसी के साथ और टीकाकरण सेंटर बढ़ाने की तैयारी है। अधिकारी ने बताया कि बिरला मंदिर धर्मशाला में एक क्वारंटाइन सेंटर खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। नई दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति की अनुमति मिलते ही क्वारंटाइन सेंटर काम करना शुरू कर देगा। उधर, एनडीएमसी ने सेनिटाइजेशन अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन व सरकारी कार्यालय भवनों का सेनिटाइजेशन किया गया।

उत्तरी निगम ने वेतन के लिए जारी किए 80 करोड़

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने शुक्रवार को बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारियों के वेतन के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए है। उन्होंने बताया कि सभी डी श्रेणी, सी श्रेणी व मुख्यालय में कार्यरत बी श्रेणी तक के कर्मचारियों का फरवरी महीने का वेतन जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नर्सो, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर व जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी फरवरी माह का वेतन जारी कर दिया गया है।

महापौर ने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कर्मचारी कोरोना की स्थिति में आगे बढ़कर कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन व निगम के शिक्षकों का वेतन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक मार्च महीने का वेतन भी जारी कर दिया जाएगा।

ईडीएमसी ने अपनी साइट पर जारी की 29 डॉक्टरों की सूची

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली।

दिल्ली में कोराना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इसकी रोकथाम के लिए कवायद तेज कर दी है। इस दिशा में काम करते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनी वेबसाइट पर 29 डॉक्टरों के लिस्ट उनके टेलीफोन नंबरों सहित जारी की गई है जिनसे कोराना पीड़ित कोई भी व्यक्ति सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अपने स्वास्थ्य के बारे में परामर्श या सुझाव ले सकता है। इसके अलावा पूर्वी निगम द्वारा एक नंबर - 8929537939 जारी किया है, जिसे कोरोना से संबंधित शिकायतें, सुझाव दिए जा सकते हैं और यदि किसी घर में कोराना संक्रमित व्यक्ति है तो इस नंबर पर घर सैनिटाइज करने के लिए कह सकते हैं।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपने स्वास्थ के बारे में ले सकते है सुझाव

पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर को सैनिटाइज किया जा रहा है

उल्लेखनीय है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही आस पास के क्षेत्र, मार्केट कॉम्प्लेक्स क्षेत्र को भी सैनिटाइज्ड किया जा रहा है। पूर्वी निगम द्वारा क्षेत्र के लोगों को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक किया जा रहा है और अनावश्यक रूप घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है।

विपक्ष को साथ लिए बिना कोरोना पर काबू पाना असंभव : चौ. अनिल

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों को नजरंदाज कर दिया। अंहकार के कारण वे बिना किसी को साथ लिए कोविड की लड़ाई अकेले ही लड़ना चाहते है, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले ही कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग कर चुकी है।

विना एक्सपर्ट व विपक्ष को साथ लिए कोरोना के खिलाफ अभियान में वे सफल नहीं हो सकते। अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि 14 निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने की मंशा से उन्हें कोविड अस्पताल घोषित किया गया। अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार के कोरोना एप द्वारा दी गई जानकारी से दिल्ली में अस्पतालों की पोल खुल चुकी है। अस्पतालों में बेड, वेंटीलेटर, नही है और स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बावजूद दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल लोक नायक अस्पताल में एक बेड पर एक से अधिक मरीजों को रखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल घोषणा करने के अलावा कोई कारगर कदम उठाने की कार्यवाही करते नजर नही आ रहे है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बैंक के लिए दिल्ली सरकार विज्ञापनों पर राशि खर्च कर रही है, परंतु जब मरीज को प्लाज्मा डोनर खुद ही ढूंढने पड़ रहे है।

डीएमआरसी का 'स्वच्छता पखवाड़ा' सम्पन्न

नई दिल्ली (एसएनबी)। 'स्वच्छ भारत मिशन' पहल के तहत दिल्ली मेट्रो ने अपने सभी स्टेशनों और अपने सभी नेटवर्क परिसरों में स्वच्छता पखवाड़े (एक से 15 अप्रैल तक) का आयोजन किया गया जिसके तहत मेट्रो नेटवर्क के समस्त संवेदनशील स्थानों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए साफ-सफाई के अभियान चलाए गए। पखवाड़े के दौरान प्रत्येक दिन एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे स्टेशन परिसरों, डिपो, आवासीय कालोनियों, साइट कार्यालयों और निर्माण स्थलों इत्यादि के लिए समर्पित किया गया, जहां सफाई और स्वच्छता संबंधी गतिविधियां चलाई गईं थी। इस दौरान विशेषकर इस समय फैली कोरोना महामारी को भी ध्यान में रखा गया तथा आम जनता को साफ-सफाई रखने के संदेश पर भी बल दिया गया।

कोरोना महामारी के चलते साफ सफाई पर दिया गया विशेष ध्यान

पखवाड़े के प्रत्येक दिन विशेष स्थान चुन स्वच्छता संबंधी गतिविधियां चलाई गईं

आम जनता को पखवाड़े का महत्व बताने तथा मेट्रो परिसरों में टिकट वेंडिंग मशीनों, टिकट काउंटरों/ ग्राहक सेवा केंद्रों, सिक्योरिटी फ्रिस्किंग एवं बैग्ज हैंडलिंग प्वाइंटों, यात्रियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों जैसे प्रवेश द्वार, कॉनकोर्स, शौचालय (विशेषकर दिव्यांग यात्रियों के लिए), स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) गेट, सीढ़ियों व हैंडेरल, लिफ्ट, एस्केलेटर और ट्रैवेलेटर्स, मेट्रो पार्किंग क्षेत्रों इत्यादि में स्वच्छता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस पखवाड़े के दौरान, मेट्रो परिसरों में तथा उनके आसपास गहन सफाई अभियानों सहित अतिक्रमण हटाने तथा भिखारियों/वेंडरों इत्यादि को वहां से हटाने के लिए अभियान चलाए गए। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान, मेट्रो परिसंपत्तियों, वायाडक्टों, स्टेशन क्षेत्रों से पोस्टर, मलबे, क्षतिग्रस्त वस्तुओं इत्यादि को हटाया गया।

उच्च शिक्षा में मिश्रित शिक्षण के महत्व पर बल

नई दिल्ली (एसएनबी)। कोरोना की स्थिति में ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना युवा शिक्षार्थियों के लिए कम चुनौती नहीं है। इसे देखते हुए आईपी विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन स्कूल ने डेवलपिंग एकेडमिक लीडर्स फॉर फ्यूचर: द वे फॉरवर्ड थीम पर ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्यशाला का उद्देश्य अगली पीढ़ी के नेताओं का निर्माण करना है। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो महेश वर्मा ने उच्च शिक्षा में मिश्रित शिक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ उभरती हुई शैक्षिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। मुख्य अतिथि विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अखिलेश मिश्रा ने कहा कि संकट अवसर लाता है। इस आपदा ने पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों को बदला है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल : नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय : ख.नं. 31/23,24 और 49/3/1 गुप्ता निवास, गली नं. 45, बी ब्लॉक, कौशिक एन्कलेव, बुराड़ी, दिल्ली-84, में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है- पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिए गए है :-
संयोजक-अविनाश कुमार R/o CS1, 1704, सुपरटेक केपटाऊन, सैक्टर-74, नोएडा, यू.पी., महासचिव- सत्यदेव पता घनपतगंज, लोहंगी, जिला-सुल्तानपुर यू.पी.-228121, सचिव- वीरेन्द्र कुमार, पता ख.नं. 31/23,24 और 49/3/1 गुप्ता निवास, गली नं. 45, बी ब्लॉक, कौशिक एन्कलेव, बुराड़ी, दिल्ली-84, कोषाध्यक्ष : संदीप कुमार, पता गांव रहिका, पो.ओ. दईयाखरवार अंचल- लखनोर वाया झंनझारपुर, जिला- मधुबनी बिहार-847403
यदि किसी को नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

गोष्ठी में डॉ. अम्बेडकर के विचारों पर डाला प्रकाश

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी कॉलेज स्वाध्याय मंडल के तत्वावधान में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कवि-सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में डा. गीता सहारे और मुख्य अतिथि के रूप में जर्मनी से इंडोलॉजी डिपार्टमेंट उप्साला स्वीडन संस्थान से जुड़े हिंदी भाषा के विद्वान प्रोफेसर डॉ. हाइंस वेर्नर वेसलर उपस्थित रहे। वेबिनार की अध्यक्षता पत्रकार व चिंतक अरुण त्रिपाठी ने की।

राजधानी कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कवि-सम्मेलन आयोजित

कार्यक्रम की शुरु आत अंबेडकर स्वाध्याय मंडल के संयोजक डॉ महेंद्र सिंह बेनीवाल द्वारा दिए गए स्वागत वक्तव्य के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में जर्मन विद्वान प्रोफेसर वेसलर ने डॉ. अम्बेडकर के विचारों को सच्चे अर्थों में 21वीं सदी में क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर राजधानी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. राजेश गिरि ने कहा कि आज के समय में युवाओं को डा. अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर भारत के उत्थान के लिए आगे आना होगा। संगोष्ठी का प्रथम सत्र 21वीं सदी में डॉ. अंबेडकर के विचारों पर केंद्रित रहा।

मुंबई के पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका पर बंद कमरे में होगी सुनवाई

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय बलात्कार के एक मामले में मुंबई के एक पत्रकार की अग्रिम जमानत की याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हुआ।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि मामले पर सुनवाई दोपहर को साढ़े तीन बजे होगी और टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ की ओर से पेश होने वाले वकीलों, शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस के लिए अलग-अलग वेब लिंक तैयार किए जाएंगे।अदालत ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई सूचीबद्ध सभी मामलों पर सुनवाई के बाद होगी। हिरेमठ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले पर बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि मामले में पुलिस ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है।

इससे पहले, नौ अप्रैल को अदालत ने पत्रकार को इस मामले में 16 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और कहा था कि उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। मामले में अंतरिम जमानत की पत्रकार की याचिका पर अदालत ने पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले पत्रकार की अंतरिम जमानत याचिका 12 मार्च को एक निचली अदालत ने खारिज कर दी थी।

उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.

निविदा सूचना संख्या. टी-02/ईटीसी/जीजैडबी/21-22 : मुहरबन्द निविदाएं दो भागों में अनुभवी ठेकेदारों से विद्युत पारेषण मण्डल गाजियाबाद के अन्तर्गत चालक सहित एक नग डीजल चालित वाहन (कार) उपलब्ध कराने हेतु आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक निविदा के प्रथम भाग में धरोहर राशि रु. 3000/-(रु. तीन हजार मात्र) एवं अवापसीय प्रपत्र मूल्य (जीएसटी सहित) रु. 590/- (रु. पांच सौ नब्बे मात्र) निम्नांकित बैंक में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. कराकर बैंक से प्राप्त रसीद कार्यालय में प्रस्तत कर निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में निविदा खुलने के एक दिवस पूर्व 17.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के प्रथम भाग में धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की बैंक से प्राप्त रसीद एवं इन्कम टैक्स पेन नं., इन्कम टैक्स रिटर्न, जीएसटी पंजीकरण प्रपत्र की छाया प्रति तथा सम्बन्धित कार्य सम्बन्धी अनुभव प्रपत्र अवश्य होने चाहिए। द्वितीय भाग में वाणिज्यक नियम, दरें एवं शर्तें होनी चाहिए। आमंत्रित निविदा के लिए निविदाएं, खुलने के निर्धारित दिनांक : 13.05.2021 को 14.00 बजे तक ही प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन सार्वजनिक रूप से ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में 15.00 बजे खोली जायेगी। उक्त तिथि में अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी। आमंत्रित की गयी निविदा के विरूद्ध निर्धारित तिथि / विस्तारीकरण की तिथि तक कोई निविदा प्राप्त न होने की स्थिति में आमंत्रित निविदा स्वयं ही निरस्त मानी जायेगी।

Account Holder Name : EE(A), ETC, UPPTCL, Ghaziabad, **Account No.:** 0180002100030346, **Bank Name** : Punjab National Bank, **IFSC Code**-PUNB0018000 **"राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं"** अधिशासी अभियन्ता (सं.) वि.पा.म. गाजियाबाद। 132 के.वी. उपकेन्द्र लाल कुंआ,उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., गाजियाबाद। पत्रांक नं.-666/ विपामगा/ टी.-02/21-22 दिनांकः-16.04.2021

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 98, फेज-4, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा-122015 तथा शाखा कार्यालय : **प्लॉट नंबर 30/30ई, अपर ग्राउंड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जैगुआर शोरूम से सटा, मोती नगर, नई दिल्ली** के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002** (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएफएल - एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नवर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल - एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए **"जैसी है जहां है" जैसी है जो है आधार"** पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट : www.bankeauctions.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार/ सह- कर्जदार/ गारंटर	मांग सूचना तिथि और राशि	बोली वृद्धि राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य (रू.)	धरोहर राशि जमा (ईएमडी)	भौतिक कब्जा की तिथि	15 अप्रैल, 2021 तक बकाया कुल राशि
1. मोइन अंसारी 2. साजदा बेगम (प्रॉस्पेक्ट नंबर 747561)	02-अगस्त-2019 रू. 71,33,547/- (रू. इकहत्तर लाख तेतीस हजार पांच सौ सैंतालीस मात्र)	रू. 35,000/- (रू. पैंतीस हजार मात्र)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फ्लैट/यूनिट नंबर 1804, सुपर बिल्ट अप एरिया परिमाप 1454 वर्ग फीट, टावर 16, 17वां तल, बिल्डिंग ग्रीन पार्क-II, प्रोजेक्ट "क्रीसेंट पार्क टाउनशिप", ग्राम वजीरपुर और मेवका, सेक्टर-92, गुरुग्राम, हरियाणा	रू. 50,00,000/- (रू. पचास लाख मात्र)	रू. 5,00,000/- (रू. पांच लाख मात्र)	26-फरवरी-2021	रू. 75,94,419/- (रू. पचहत्तर लाख चौरानवे हजार चार सौ उन्नीस मात्र)
1. श्री रजत कुमार प्रधान 2. श्रीमती तपस्विनी आर प्रधान (प्रॉस्पेक्ट नंबर 755340)	25-फरवरी-2020 रू. 92,67,782/- (रू. बानवे लाख सड़सठ हजार सात सौ बयासी मात्र)	रू. 40,000/- (रू. चालीस हजार मात्र)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर 703, बिल्डिंग नंबर एफ-02, टाइप 7वां तल,एरिया परिमाप 154.78 वर्ग मीटर (सुपर एरिया), क्रीसेंट पार्क ग्रीन पार्क-II, सेक्टर-92, ग्राम वजीरपुर और मेवका, जिला गुरूग्राम, हरियाणा	रू. 87,00,000/- (रू. सतासी लाख मात्र)	रू. 8,70,000/- (रू. आठ लाख सत्तर हजार मात्र)	26-फरवरी-2021	रू. 92,02,253/- (रू. बानवे लाख दो हजार दो सौ तिरेपन मात्र)
1. अजय ग्रोवर 2. चारू वाही 3. कमला ग्रोवर (प्रॉस्पेक्ट नंबर 758390 एवं 760423)	26-जुलाई-2019 रू. 63,97,325/- (रू. तिरेसठ लाख सत्तानवे हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) (प्रॉस्पेक्ट नंबर 758390) रू. 1,16,86,146/- (रू. एक करोड़ सोलह लाख छियासी हजार एक सौ छियालीस मात्र) (प्रॉस्पेक्ट नंबर 760423)	रू. 35,000/- (रू. पैंतीस हजार मात्र)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर 1006, टावर टी-16, 10वां तल, ब्लॉक टी-16, ग्रीन पार्क-II, सेक्टर-92, गुरूग्राम, हरियाणा	रू. 65,00,000/- (रू. पैंसठ लाख मात्र)	रू. 6,50,000/- (रू. छह लाख पचास हजार मात्र)	26-फरवरी-2021	रू. 68,16,323/- (रू. अड़सठ लाख सोलह हजार तीन सौ तेईस मात्र) (प्रॉस्पेक्ट नंबर 758390)
			सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर जी3-1703, टावर जी3, 16वां तल, प्रोजेक्ट दि ग्रैण्ड, सेक्टर-92, गुरूग्राम, हरियाणा	रू. 60,00,000/- (रू. साठ लाख मात्र)	रू. 6,00,000/- (रू. छह लाख हजार मात्र)		रू. 1,25,66,556/- (रू. एक करोड़ पच्चीस लाख छियासठ हजार पांच सौ छप्पन मात्र) (प्रॉस्पेक्ट नंबर 760423)
1. श्री सोहेल अख्तर 2. श्रीमती नसमीन खातून (प्रॉस्पेक्ट नंबर 745436)	10-फरवरी-2020 रू. 1,09,97,691/- (रू. एक करोड़ नौ लाख सत्तानवे हजार छह सौ इक्यानवे मात्र)	रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : यूनिट नंबर 203, बिल्डिंग नंबर पी-02, द्वितीय तल, "क्रीसेंट पार्क ग्रीन पार्क-II", दि पेटिओल्स, क्षेत्रफल परिमाप 2226 वर्ग फीट, सेक्टर-92, गुरूग्राम, हरियाणा	रू. 1,10,00,000/- (रू. एक करोड़ दस लाख मात्र)	रू. 11,00,000/- (रू. ग्यारह लाख मात्र)	26-फरवरी-2021	रू. 1,16,93,212/- (रू. एक करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार दो सौ बारह मात्र)

भुगतान की विधि : सभी भुगतान "आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड" के पक्ष में गुरूग्राम में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किये जाने चाहिए। खाता विवरण निम्नानुसार है : क) खाते का नाम : "आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड" ख) बैंक का नाम : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, ग) खाता नंबर : 53105066294, घ) आईएफएससी कोड :- एससीबलएल0036025 अथवा पेमेंट लिंक https://quickpay.iiflfinance.com के माध्यम से

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	25-05-2021, 1100 बजे - 1400 बजे	ईएमडी अंतिम तिथि	26-05-2021, अप. 5.00 बजे तक	नीलामी की तिथि/समय	28-05-2021, 1100 बजे - 1300 बजे

नियम एवं शर्तें : 1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के पास पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा लॉगइन खाता, लॉगइन आईडी और पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा फार्म" ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपरिवर्णित शाखा कार्यालय में जमा करना होगा।
2. बोलीदाता अपनी ऑफर कालम "बोली वृद्धि राशि" में वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोली स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा और भुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे।
4. खरीदार को उपकर, लागू स्टाम्प ड्यूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसेकि म्युनिसिपल कर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे।
5. बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा आवेदन प्रपत्र के लिए https://www.bankeauctions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है।
6. विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com सपोर्ट हेल्प लाइन नंबर : 7291981124/25/26 तथा किसी सम्पत्ति संबंधी पूछताछ के लिए श्री जय नायर @ 9910999001, ई-मेल आईडी : jai.nair@iifl.com से सम्पर्क करें।
7. किसी भी चरण में सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी।
8. एओ के पास बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी स्थगित/निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। निविदा/नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

सरफासी ऐक्ट, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री हेतु 30 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरिवर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों के साथ निविदा/नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 17-04-2021 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड**

फॉर्म-ए सार्वजनिक घोषणा
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
मैसर्स डीएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.. के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

	प्रासंगिक विवरण	
1.	कोर्पोरेट ऋणी का नाम	मैसर्स डीएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	19.05.2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित/ पंजीकृत है	कम्पनयों के रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U45400DL2008PTC178327
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी. कार्यालयः 8356, डब्ल्यू नं-14, मॉडल बस्त बारा हिंदू राव फिल्मिस्तान सिनेमा बिल्डिंग दिल्ली - 110005
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	15.04.2021 (दिनांक 16.04.2021 को आदेश प्राप्त)
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	12.10.2021 (आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि से 180 वें दिन)
8.	अंतिरम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	नामः श्री अशोक कुमार दीवान पंजीकरण नं.: IBBI/IPA-001/IP-P00603/2017-2018/11054
9.	अंतिरम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पताः फ्लैट नं. ए-10, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, 7, एस जे एस सांसवाल मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 110016, ई-मेलः akdewan1001@gmail.com
10	अंतरिम रिजॉल्यूशन पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए पता और ईमेल का उपयोग किया जाना चाहिए	पताः एआरसीके रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स् एलएलपी, 409, चतुर्थ तल, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल : insolvency@arck.in
11	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	29.04.2021
12	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित	क्लास(सों) का नाम : लागू नहीं
13	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	1. लागू नहीं 2. लागू नहीं 3. लागू नहीं
14	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	वेब लिंकः - http://ibbi.gov.in.downloadform.html भौतिक पताः लागू नहीं

*लागू नहीं
इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने 15.04.2021 को मैसर्स डीएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश प्राप्ति की तिथि 16.04.2021)
मैसर्स डीएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के क्रेडिटर्स को 29.04.2021 को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना हैं। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचालन लेनदारों को पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं। एंट्री नं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार, क्लास (लागू नहीं) फार्म सी ए में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एंट्री नं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा।
दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा।
तिथिः 17.04.2021
स्थानः नई दिल्ली अशोक कुमार दीवान